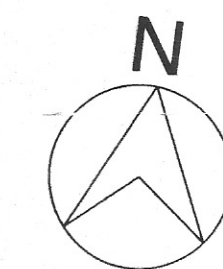
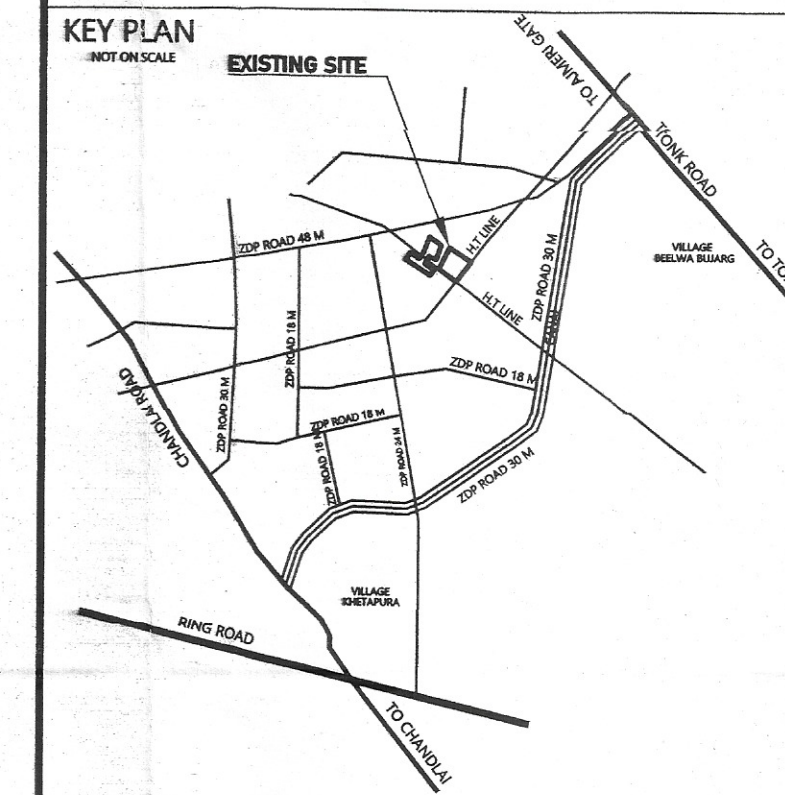


LAYOUT PLAN OF LAND OF KHASRA NO 403,404,405,406,407,412,571,572,574,369,370,371,372/1207,386,387,388,389,392,393 OF VILLAGE -SAWAI JAISINGHPURA (BASS BILWA), TEH. -SANGANER, JAIPUR

J.D.A.



1316
B.
20.9.23.



Residential scheme area analysis:-

S.no.	Land Use	Area(sq.mtr.)	Percent
1	Residential	11988.01	51.88
2	Lws/Lig	1278.75	05.53
3	Retail comm.	465.67	02.01
4	Park	309.26	01.33
5	Green/park	972.00	04.22
6	S.w.m.+telecom	90.01	00.39
7	Road	8004.89	34.64
	Total area	23108.59	100.00

90B AREA (jamabandi area) = 22700.00 SQ MTR.
SCHEME AREA= 23108.59 SQ MTR.
DIFFERENCE AREA= 408.59 SQ MTR.

NAME OF SOCIETY :-
NIJI KHATEDARI

NAME OF SCHEME :-
HANUMAN NAGAR-C

ZONE NO.-14

SECTOR NO.-

SCALE:-1"=50'

DRG. NO.

JEN (ZONE-14)

AMIN (ZONE-14)

T.D.R (ZONE-14)

A.T.P. (ZONE-14)

D.C (ZONE-14)

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR

नोट:-

- राजपूत ग्राम बास बिलवा सहस्रली सांगानेर जिला जयपुर के खन. 369, 370, 371, 372/1207, 386, 387, 388, 389, 392, 393, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 571, 572 कुल कितना 19 रकबा 02.27 हेक्टर, भूमि की प्रकरण संख्या 183/2001/रा.भू.स./90ख दिनांक 27.06.2007 को की गई है जिसकी प्रति 2-8/सी पर संलग्न है।
- योजना की भूमि में रा.भू.स. अधिनियम की धारा 90-ख की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मीके पर प्रमाणिकरण सहस्रलीद्वारा द्वारा किया गया है।
- योजना का भू-उपयोग मास्टर प्लान शाखा द्वारा 34/सी के अनुसार मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत प्राणीय व मास्टर विकास योजना 2025 व जोनल डेवलपमेंट प्लान प्लानिंग जोन-9 के अनुसार भू-उपयोग आवासीय एवं आंशिक कॉमर्शियल दर्जित है तथा जोनल प्लान की किसी भी खंड से प्रभावित नहीं है।
- योजना हनुमान नगर-सी का अनुमोदन बीपीसी(एलपी) की 337वीं बैठक दिनांक 28.06.2023 में किया गया है। जिसकी अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
- अवेदिता भूमि पर एच.टी.लाईन सेप्टी कॉरिडोर नविनि के आदेश दिनांक 17.06.2022 के अनुसार कायम किया जावे। उक्त एच.टी. लाईन के सेप्टी कॉरिडोर की भूमि पर आवेदक द्वारा नो कन्स्ट्रक्शन जोन में स्वयं के स्तर पर उक्त भूमि के चारों ओर बाउण्ड्री पिलर लगवाते हुये नो कन्स्ट्रक्शन का बोर्ड लगावा जावे।
- अवेदिता भूमि में शामिल खसरा नं. 371 जो कि गैरमुक्तित चाह के रूप में दर्ज है, को वाटर हावर्सिंग उपयोग हेतु खुले के रूप में रखा जावे।
- योजना में फुटकर व्यावसायिक के प्राक्धान नविनि के आदेश दिनांक 20.02.2023 के अनुसार देय होंगे।
- योजना का अनुमोदन 6040 के अनुपात में किया जावे।
- योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2002 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
- प्रस्तावित योजना के मुखर्जों पर पैरामीटर्स जफिया विनियम 2020 के अनुसार देय होंगे।
- आन्तरिक विकास शुल्क की एवज में 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के निम्न भूखण्ड रहन रखे जाते है:-
भू.सं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कुल भूखण्ड 15 कुल क्षेत्रफल 1742.12 वर्गमीटर
- र.न. 574.01 को एच.टी. लाईन सेप्टी कॉरिडोर के अंतर्गत देय होंगे।

उपस्थित अधिकारी
जयपुर
20.9.23

AMIN (ZONE-14)
A.T.P. (ZONE-14)
T.D.R. (ZONE-14)
B.P.C.(L.P.)
B.P.C.(L.P.)
A.C.T.P.
A.C.T.P.